मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 22, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2011-2012 की द्वितीय छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 तथा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, प्रदेश के औपचारिकेत्तर शिक्षा योजना के अंतर्गत अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों को नियुक्ति न दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी जिले में फीडर सेपरेशन का कार्य बंद किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले के विजयराघवगढ़ क्षेत्र में लीड समितियों में अनियमितता होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ.कल्पना परूलेकर, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री अजय सिंह, सदस्य, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का नवीन सेटअप स्वीकृत न होने की ओर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री पुरूषोत्तम दांगी, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री सुनील जायसवाल, सदस्य, सिवनी जिले के कांदीवाड़ा एवं बदेली उद्वहन सिंचाई योजना का संचालन बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, ग्वालियर शहर की विद्युत वितरण व्यवस्था निजी हाथों में दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम रिसेवाड़ा में घटित घटना में पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों पर प्रकरण बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री चम्पालाल देवड़ा, प्रियव्रत सिंह, रामलखन सिंह, सदस्य, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा चयनित संविदा शाला शिक्षकों को नियुक्ति न दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) श्री बृजमोहन धूत, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन से सहमत है."

(2) श्री बृजेन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति का 159 वां से 186 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री गिरीश गौतम, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ पन्द्रहवां प्रतिवेदन से एक सौ तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य, अनूपपुर जिले के –

(क) ग्राम अमदरी में संचालित हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,,

(ख) ग्राम पड़मनिया में संचालित उप स्वा. केन्द्र का उन्नयन किये जाने, तथा,

(ग) ग्राम जरहा के हाई स्कूल के भवन निर्माण किये जाने,

(2) श्री रामगरीब कोल, सदस्य, रीवा जिले के –

(क) ग्राम भनिगवां मुख्य सड़क से इन्द्रा आवास तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(ख)ग्राम डाढ़ा एवं गोबरिया की सड़क निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम बेलहा से जमुनिया तक सड़क निर्माण किये जाने,तथा,

(घ) ग्राम रघुनाथपुर में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने,,

(3) कुँ. विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य, छतरपुर जिले के -

(क) ग्राम खर्रोही और हथनी भटिया के बीच पुल निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम धनपुरा तिगेला से खर्रोही तक सड़क निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम लवकुश नगर, टहनग,रगौली ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने,तथा

(घ) ग्राम नादिया वेहर के विस्थापितों को पटटे दिलाये जाने,

(4) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के-

(क) ग्राम रामपिपरिया में हाई स्कूल खोले जाने,,

(ख) ग्राम गुलौआ टोला में हैण्ड पंप खनन कराये जाने,तथा

(ग) नरसिंहपुर शहर के तिलक वार्ड की सींगरी नदी पर स्टाप डेम निर्माण कराये जाने,

(5) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम छिबौरा मोड़ से अतरहरा के बीच पुल निर्माण कराये जाने, तथा

(6) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य, सी.आई. एज्यूकेशनल एवं सी.आई. इन्वेस्टमेंन्ट प्रायवेट लिमिटेड द्वारा वन भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को रोके जाने,

के संबंध में याचिकाऐं प्रस्तुत करेंगे.

6. संकल्प

निर्धारित समय

1 घन्टा

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का पुनर्ग्रहण –

''प्रदेश में बी.पी.एल. सर्वे वर्ष 2002-03 के सर्वेक्षण के अनुसार 54.68 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं. इस समय कच्चे कवेलू को आवास की परिभाषा में लिया गया था. अत: कुल आवासहीन परिवार 2.08 लाख एवं कच्चे आवासधारी 35.54 लाख परिवार, इस प्रकार कुल आवासहीन परिवार 37.62 लाख थे. इसका असर मध्यप्रदेश में इंदिरा आवास योजना में अत्याधिक कम लक्ष्य रहा.

शासन द्वारा जनगणना 2011 में सुधार हेतु प्रयत्न किया गया, के अनुसार प्रदेश में 1.11 करोड़ परिवार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसमें से 71.38 लाख परिवारों के आवास की छत घास-फूस, टाट, बांस, लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक, पोलेथिन एवं हाथ से बने कच्चे कवेलू से बनी हैं तथा 72.15 लाख परिवारों के आवास की दीवारें मिट्टी, कच्ची ईटों एवं लकड़ी आदि से बनी है.

जनसंख्या एवं गरीबी रेखा के आवासहीन परिवारों की संख्या के अनुसार प्रदेश को इंदिरा आवास योजना में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है. चालू वित्तीय वर्ष 2012-2013 में असम को 184408, बिहार को 816305, उत्तर प्रदेश को 368322, गुजरात को 136470, महाराष्ट्र को 167379 एवं मध्यप्रदेश को मात्र 84358 इंदिरा आवास का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ हैं.

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली प्रदेश की जनता के जीवन को उत्तरोत्तर समृद्ध एवं खुशहाल बनाया जाये, इस हेतु जनगणना 2011 के सर्वे के आधार पर केन्द्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिये इंदिरा आवास योजनान्तर्गत 3.83 लाख, वनाधिकार पट्टाधारियों को लाभान्वित करने के लिए 1.60 लाख एवं इंदिरा आवास-होमस्टेड हेतु 2.00 लाख आवासों की अतिरिक्त मांग भारत सरकार से की जाए.

मध्यप्रदेश के सभी ग्रामीण आवासहीन परिवारों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में पक्के आवास मिले, इसके लिए केन्द्र सरकार से राज्य को प्रति वर्ष 3.83 लाख इंदिरा आवासों का लक्ष्य स्वीकृत किया जाये. जिससे कि प्रदेश के सभी ग्रामीण आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराया जा सके.''.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री द्वारा किये गये प्रस्ताव कि ''न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 30 सन् 2012) पर विचार किया जाय.'' पर **चर्चा का पुनर्ग्रहण**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि.

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 32 सन्, 2012) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि.

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 34 सन्, 2012) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि.

(4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 26 सन् 2012)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

1 घण्टा

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (क्रमांक 35 सन् 2012)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

1 घण्टा

(6) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 36 सन् 2012)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

1 घण्टा

(7) श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 37 सन् 2012)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि.

(8) श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 38 सन् 2012)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

8. प्रतिवेदनों पर चर्चा

2 घन्टे

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 की अनुशंसाओं के पालन प्रतिवेदनों पर चर्चा.

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घण्टा 30 मि.

प्रदेश में निरंतर बढ़ती शिशु मृत्यु दर एवं भ्रूण हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 12 दिसम्बर, 2012